न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :—60 / 2020 दायर दिनांक: 09.07.2020

GCMS NO:- 2020/00105

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. अंजनी कुमार शर्मा पुत्र श्री रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम आ0 छोगा लाल जाति ब्राहमण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भोलाशंकर पुत्र छोगा लाल जाति ब्राहमण निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हेमराज शर्मा पुत्र छोगा लाल जाति ब्राहमण निवासी बांसी हाल निवासी मालियों के नोहरे के पास छत्रपुरा बून्दी।
4. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र छोगा लाल जाति ब्राहमण निवासी बांसी हाल निवासी नवजीवन संघ कॉलोनी गेट नं. 3 के सामने वाली गली में सुभाष नगर बून्दी।
5. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

——प्रत्यार्थी

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 20.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 488,489,490,497,499,500 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है तथा खसरा संख्या 495 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 चाह है जो प्रार्थीगण के पिता रविदत्त शर्मा के नाम दर्ज है। यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 499 व 500 से होता हुआ खसरा संख्या 493,496,494,495 व अन्य खसरों में पहुंचता हैं। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण ने गत सप्ताह से अंकित रास्ते को फाडकर अपने खेत मे मिला लिया और रास्ते को बन्द कर दिया । यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 20 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ—पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में चारागाह खसरा नम्बर 493 रकबा 0—13 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है परन्तु वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते की भूमि चारागाह एवं रास्ते की लंबाई अधिक होगी। अतः इसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 492 रकबा 0—08 बीघा सिवायचक बंजड में से दिया जाना उचित होगा जो इनकी भूमि खसरा नम्बर 490 में पहुंचता है और

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

...से कम दूरी का व उपयुक्त रास्ता होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 784 वर्गफीट है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बांसी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 488,489,490,497,499,500 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर खसरा नम्बर 492 रकबा 0–08 बीघा सिवायचक बंजड में से 784 वर्गफीट क्षेत्रफल का , जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी (बूंदी) नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested